यहां चाय बेचनेवाले का भी है पूरे खगड़िया पर दावा

फरकिया– 2

नदियों की बेढ़ब चाल के कारण टोडरमल ने जो फरकिया की जमीन की पैमाइश का काम छोड़ा उसे अंग्रेजों ने भी छूने से इनकार कर दिया. लिहाजा इस इलाके के जमीन के कागजात और मालिकाना हक का दावा कभी विवाद से परे रहा ही नहीं. ऐसे में इलाके के 60 फीसदी झगड़ों का कारण भूमि-विवाद साबित हो रहा है. हर दूसरा किसान जमीन के मुकद्दमेबाजी में व्यस्त है. इन्ही हालात में जहां जमीन के लिए अमौसी नरसंहार जैसी घटना घट जाती है तो सड़क किनारे चाय बेचने वाला एक दुकानदार भी पूरे शहर पर मालिकाना हक का दावा कर बैठता है.

दिलीप राम

1980 के आसपास स्थानीय जमींदारों ने जमीन बेचना शुरू किया तो लोगों ने उनसे जमीन खरीदे. मगर जमींदारों ने इस मौके पर भी भारी गड़बड़ी की जमीन का एक-एक टुकड़ा पांच-पांच लोगों को बेच दिया और खुद गायब हो गये.

पुष्यमित्र

दिलीप राम खगड़िया स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 4 के किनारे चाय की दुकान चलाते हैं. रेल प्रशासन उन्हें अतिक्रमणकारी मानता है, मगर आप जब यह बात दिलीप राम से कहेंगे तो वे बतायेंगे कि भारतीय रेल ने ही उनकी लंबी चौड़ी बेगूसराय जिले के बछवाड़ा से लेकर कटिहार जिले के सेमापुर तक की जमीन पर कब्जा कर लिया है. दिलीप राम का दावा पूरे खगड़िया शहर पर भी है, उनके पास मौजूद कागजात के मुताबिक उनके परदादा गैनू महरा को यह सारी जमीन बनैली रिसायत के 27 मालिकों ने मिलकर दान कर दी थी. दिलीप राम की कहानी थोड़ी हैरतअंगेज जरूर है, मगर फरकिया इलाके के लिए यह कोई अनहोनी बात नहीं है. क्योंकि इस इलाके में एक-एक जमीन के कागजात पांच-पांच लोगों के पास हैं और किसके कागजात सही हैं यह बताने की स्थिति में खुद जिला प्रशासन भी सक्षम नहीं है. यही वजह है कि अलौली थाने में पहुंचने वाले हर पांच में से तीन मुकदमे भूमि विवाद से संबंधित होते हैं.

टोडरमल का गुनाह

फरकिया इलाके में बड़ी संख्या में होने वाले भू-विवाद का इल्जाम भी अकबर के दरबारी टोडरमल के सिर पर ही है. एक स्थानीय विशेषज्ञ बताते हैं कि पांच नदियों के पेट में बसे फरकिया इलाके की जमीन का सर्वेक्षण जो टोडरमल के समय में छूटा हुआ था उस काम को ब्रिटिश सरकार ने भी अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया. इसका लाभ उठाकर कुछ बाहरी जमींदारों ने इस इलाके की जमीन पर कब्जा कर लिया. मगर जब जमींदारी उठी तो कई जमींदारों ने इस इलाके की जमीन का सरकार को ब्योरा नहीं दिया और स्थानीय बाहुबलियों की मदद से इस इलाके में खेती करवाते रहे.

बाहरी जमींदार

फरकिया इलाके के अधिकांश किसान हाल-हाल तक भूमिहीन ही थे. किसी के पास जमीन के कागजात नहीं थे. शहरबन्नी पंचायत के मुखिया नागेश्वर साव बताते हैं कि बीस-तीस साल पहले तक तो उनके क्षेत्र के किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं थी. 1980 के आसपास स्थानीय जमींदारों ने जमीन बेचना शुरू किया तो लोगों ने उनसे जमीन खरीदे. मगर जमींदारों ने इस मौके पर भी भारी गड़बड़ी की जमीन का एक-एक टुकड़ा पांच-पांच लोगों को बेच दिया और खुद गायब हो गये. अब लोग लड़ते-कटते मरते रहते थे. 2001 में जाकर सरकार ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू की. लोगों के नाम से अलग-अलग खतियान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई.

मगर जाहिर सी बात है दशकों से जो मसला उलझा हुआ था वह एक झटके में तो सुलझने वाला नहीं था. लिहाजा इलाके का लगभग हर दूसरा किसान भूमि विवाद से जूझ रहा है और खेती से अधिक मेहनत कोर्ट-कचहरी में मुकदमे की पैरवी में कर रहा है.

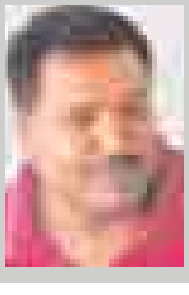

कई भू-विवादों की वजह नदियों द्वारा बार-बार रास्ता बदलना है. इसमें कई लोगों की जमीन डूब जाती है और अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है.

विश्वरंजन सिंह
थानाध्यक्ष, अलौली

भू-दस्तावेजों का अभाव

चाय विक्रेता दिलीप राम के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर वे दावा करते हैं कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा से कटिहार जिले के सेमापुर तक की जमीन उनकी अपनी है. उनके हिसाब से पूरी जमीन तीन तौजी में विभक्त है, तौजी संख्या-525, 10441 और 10442. उन्होंने इस संबंध में बिहार सरकार और रेलवे पर 1992 में मुकदमा भी किया था और बतौर हर्जाना 1 अरब 20 करोड़ रुपये का दावा किया था. यह मुकदमा 2013 तक चला. दिलीप राम का मुकदमा भले ही खारिज हो गया, मगर यह साबित नहीं हो पाया कि दिलीप राम का दावा गलत है. वे कहते हैं कि सरकारी दस्तावेजों में उनकी जमीन के कागजात नहीं मिलने के कारण यह दावा खारिज हुआ है. उन्होंने खुद जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आशय का पत्र को दिखाया जिसमें लिखा है कि दिलीप राम की चाय दुकान को तब तक न हटाया जाय जब तक यह साबित न हो जाये कि दिलीप राम का दावा गलत है.

इसकी वजह है कि 1981 से पहले तक खगड़िया मुंगेर जिले का हिस्सा था. अब भले ही खगड़िया जिले को बने 32 साल हो गये मगर उसके सारे भू-दस्तावेज मुंगेर जिले में ही हैं. सड़क मार्ग से खगड़िया और मुंगेर के बीच की दूरी सड़क मार्ग से 125 किमी है और मुंगेर में सप्ताह में दो दिन ही दस्तावेजों को दिखाया जाता है. वहां कई दस्तावेज बहुत बुरी हालत में हैं और बड़ी संख्या में दस्तावेज नष्ट भी हो चुके हैं.

नदियों की चाल

इसके अलावा नदियों ने बार-बार रास्ता बदल कर जमीन के झमेले को और जटिल बना दिया है.

अलौली थाने के थानाध्यक्ष विश्वरंजन सिंह कहते हैं कि बहुत सारे भू-विवादों की वजह नदियों द्वारा बार-बार रास्ता बदलना है. इसमें कई लोगों की जमीन डूब जाती है और अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है. जिनकी जमीन डूब जाती है वे तो संतोष कर लेते हैं, मगर जमीन का जो हिस्सा निकलता है उसके लिए मारा-मारी मचने लगती है.

अमौसी नरसंहार के मामले में थानाध्यक्ष की यह बात सही साबित होती है. इन्हीं हालात में चार साल पहले अलौली प्रखंड के अमौसी गांव में भीषण नरसंहार हुआ जिसमें 16 लोगों की हत्या कर दी गयी. पिछले साल इस हत्याकांड का फैसला आया और 10 लोगों को मौत की सजा सुनायी गयी. इस नरसंहार की एक बड़ी वजह बागमती नदी के धारा बदले के कारण बाहर निकले 400 बीघा जमीन थी. इस बेनामी जमीन पर कब्जा करने के लिए गांव के दबंगों में होड़ मची थी.

(आईएम4मीडिया फैलोशिप के तहत प्रकाशित)

खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत। खाद बिना खेती नहीं, मणी बिना जस नाग।
जोत बिना पैदा नहीं, नमक बिना जस साग।। गोबर मैला नीम की खली। एह से खेती दूनी फली।।
(गोबर (कंपोस्ट), मैला (टाउन कंपोस्ट) और नीम की खली खेत में डालने से पैदावार दूनी हो जाती है.)